

कार्यालय- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला (राज.)

कमांक- शं/04

दिनांक- 22.01.2024

: : संशोधित कार्यालय आदेश : :

में श्रीमती अलका जोशी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला (अतिरिक्त कार्यभार) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14 संपादित धारा 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह जनवरी, 2024 के रिमाण्ड ड्यूटी आदेश शं/ 01 दिनांक/03.1.24 में आंशिक संशोधन कर उसकी निरंतरता में दिनांक 27.01.2024, 28.01.2024 को जिला मुख्यालय जोधपुर, ओसियां, बालेसर, बिलाडा, पीपाडशहर, भोपालगढ के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले आवश्यक अपराधिक प्रकरणों यथा रिमाण्ड, जमानत, मृत्युकालीन कथन, मृत्यु समीक्षा एवं अन्य आवश्यक कार्य यथा प्रोटोकॉल आदि के लिए इस कार्यालय आदेश के जरिये कॉलम संख्या (2) में अंकित न्यायिक अधिकारीगण को उनके नाम के आगे कॉलम संख्या (4) में अंकित अवकाश की तिथि को एवं नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्यदिवस को कार्यालय समय पश्चात् से पश्चात्वर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक अपने मुख्यालय पर रहकर और यदि किसी कारण से नियत तिथि से पूर्ववर्ती या पश्चात्वर्ती कार्य दिवस का अवकाश घोषित होता है, तो संबंधित अधिकारी को मुख्यालय पर ही रहकर कोविड-19 महामारी से बचाव के संबंधित मानक प्रोटोकॉल को दृष्टिगत रखते हुए, उक्त कार्य सम्पादित करने के लिए अधिकृत करती हूँ।

(1) क्रम सं.	(2) नाम अधिकारी व पद नाम	(3) जोधपुर जिला, बालेसर, बिलाडा, पीपाडशहर, ओसियां, भोपालगढ न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की रिमाण्ड ड्यूटी
1	श्री विजय बाकोलिया न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीपाडशहर	27/01/2024 28/01/2024

साथ ही, यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई पीठासीन अधिकारी, जिन्हें उक्त अवकाश के दिवसों का उवतानुसार आवश्यक कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है, किन्तु वह अपने मुख्यालय पर (उपाजित/अर्द्धवैतनिक/रूपान्तरित अवकाश के अतिरिक्त) उपलब्ध है, तो उनके द्वारा उस मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों के उक्तानुसार ही आवश्यक प्रकृति के कार्य निष्पादित किये जावेंगे। यह और भी, निर्देशित किया जाता है कि लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए अभिकथित आरोपी/ आरोपीगण के रिमाण्ड बाबत उक्त अधिकृत पीठासीन अधिकारों विधिनुसार आदेश पारित करेंगे। साथ ही एन.डी.पी.एस. प्रकरणों के रिमाण्ड के संबंध में माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जोधपुर जिला के आदेश कमांक स्था0/2022/1090-1104 दिनांक 12.04.2022 के अनुसार आदेश पारित करेंगे।

नोट- यह आदेश दिनांक 27/01/2024, 28/01/2024 के राजकीय अवकाश के लिए ही प्रभावी है, तत्पश्चात् इस कार्यालय के रिमाण्ड ड्यूटी आदेश शं./ 01 दिनांक 03/01/2024 यथावत रहेगा।

- 50 -


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जोधपुर जिला।

कमांक :- 25

दिनांक:- 22/1/24

प्रतिलिपि निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जोधपुर जिला।
2. श्रीमान विशिष्ट न्यायाधीश महोदय, पोक्सो, जोधपुर जिला।
3. श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जोधपुर जिला/फलोदी/बिलाडा/बालेसर।
(जरिये E-mail)
4. श्रीयुत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलाडा/फलोदी-संख्या 1 व 2/पीपाडशहर/बालेसर/ओसियां
(जरिये E-mail)
5. श्रीयुत न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला/पीपाडशहर/बालेसर/फलोदी/बाप/लोहावट/भोपालगढ/
बिलाडा/ग्राम न्यायालय ओसियां (जरिये E-mail)
6. श्रीयुत जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण/फलोदी को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि सभी
थानाधिकारियों को सूचित करावें। (जरिये E-mail)
7. जिला आबकारी अधिकारी, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीन कार्यरत वृत्त निरीक्षक/
प्रहराधिकारी/भारसाधक अधिकारी, आबकारी थाना को सूचित करावें। (जरिये E-mail)
8. सहायक निदेशक, अभियोजन जोधपुर।
9. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, जिला न्यायालय, जोधपुर जिला को प्रेषित कर लेख है कि वह उक्त
आदेश को जिला न्यायालय की **website** पर **upload** करें।
10. कार्यालय प्रति।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जोधपुर जिला।